नव भारत
1934 से

सड़क पर भिड़े वकील-पुलिस

विवाद वकील से मारपीट के आरोप में जहांगीराबाद थाना प्रभारी समेत तीन सस्पेंड, अधिवक्ता पर भी एफआईआर दर्ज

आक्रोश थाना प्रभारी पर एफआईआर की मांग को लेकर वकीलों का कोर्ट चौराहे पर चक्काजाम, टेंट लगाकर डटे रहे

आरोप कोर्ट पहुंचे पुलिसकर्मियों से अभद्रता के आरोप, मुल्जिमों की पेशी अटकी, राहगीरों से भी की मारपीट

विशेष प्रतिनिधि

भोपाल, 23 सितंबर. जहांगीराबाद थाने में अधिवक्ता राकेश रावल से कथित मारपीट का मामला बुधवार को और तूल पकड़ गया. पुलिस प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने के बावजूद अधिवक्ता एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे.

प्रदर्शनकारी वकीलों का राहगीरों से मारपीट करते हुए वीडियो वायरल

दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में वकीलों ने कोर्ट चौराहे पर चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शन के कारण अरेरा हिल्स और एमपी नगर की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा. दिनभर चले प्रदर्शन के बाद मांग पूरी नहीं होने पर बुधवार रात में वकीलों ने कोर्ट चौराहे पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है. प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों को कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया. इसका सीधा असर न्यायालयीन कामकाज पर पड़ा. पुलिस कई मामलों में आरोपियों और मुजरिमों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकी.

वकीलों ने भी खुद को पैरवी से अलग रखा. कोर्ट परिसर में पुलिस की आवाजाही बंद होने से सुरक्षा और पेशी व्यवस्था प्रभावित रही. मंगलवार रात से शुरू हुए विरोध के बाद पुलिस प्रशासन ने जहांगीराबाद थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार, आरक्षक यश लखेरा और रामस्वरूप को निलंबित कर दिया. हालांकि, अधिवक्ताओं का कहना है कि मारपीट के आरोप में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई. उनका आरोप है कि उल्टे घायल अधिवक्ता राकेश रावल के खिलाफ ही प्रकरण दर्ज कर दिया गया. जबतक पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा.

एसपी की कार की हवा निकाली

बुधवार को प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित वकीलों ने न्यायालयीन कार्य से भोपाल आए शहडोल एसपी डॉ. संजय कुमार अग्रवाल की कार के टायरों की हवा निकाल दी. इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. वहीं कोर्ट के मुंशियों और पुलिसकर्मियों ने भी प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं.

दिनभर तनाव की स्थिति बनी रही

सुबह जिला अदालत परिसर के बाहर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया. इसके बाद एफआईआर की मांग को लेकर कोर्ट चौराहे पर चक्काजाम किया गया, जिससे अरेरा हिल्स और एमपी नगर की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात दबाव बढ़ गया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तनाव की स्थिति बनी रही. अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को अदालत परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया. इसका असर न्यायालयीन कामकाज पर भी पड़ा. पुलिस कई मामलों में आरोपियों और मुजरिमों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकी. कोर्ट परिसर में पुलिस की आवाजाही रुकने से सुरक्षा और पेशी व्यवस्था प्रभावित रही.

डायवर्जन को लेकर हुआ था विवाद

घटना मंगलवार शाम गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान खटलापुरा मार्ग पर यातायात डायवर्जन को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद की बताई जा रही है. अधिवक्ता राकेश रावल का आरोप है कि रास्ता बंद होने को लेकर पुलिसकर्मियों से विवाद हुआ, जिसके बाद उन्हें जहांगीराबाद थाने ले जाया गया. वहां उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई. उन्हें चोटें आई हैं. घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता थाने पहुंचे और देर रात तक प्रदर्शन किया.

इनका कहना...

मामले में थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है. वहीं आरक्षक की ओर स अधिवक्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. दोनों पक्षों की शिकायतों और आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्वाई की जाएगी.

-शैलेन्द्र सिंह चौहान
अति. पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था)

वकील के साथ यदि ऐसी मारपीट हो सकती है तो आम लोगों के साथ पुलिस क्या करती होगी. जबतक एफआईआर नहीं होगी प्रदर्शन चलता रहेगा. वकीलों ने किसी के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार नहीं किया.

- राजेश व्यास
पूर्व चेयरमैन, स्टेट बार काउंसिल

रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के दो और विपणन अधिकारी निलंबित

- सब्सिडी जारी करने के बदले रकम मांगने के आरोप
- दो दिन में तीन अधिकारियों पर कार्रवाई

नवभारत न्यूज

भोपाल, 23 सितंबर. वेयरहाउस संचालकों से सब्सिडी जारी करने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायतों पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दो और विपणन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.

मंत्रालय के अनुसार भोपाल में पदस्थ नीरज वर्मा और फरीदाबाद में पदस्थ संदीप दीदावत पर निरीक्षण के दौरान रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जांच के बाद दोनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई.

शिकायत के अनुसार नीरज वर्मा ने सीहोर जिले के वेयरहाउस संचालकों से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 50 हजार रुपए की मांग की थी. वहीं संदीप दीदावत पर रायसेन स्थित प्रकाश वेयरहाउस के संचालक से निरीक्षण के दौरान 60 हजार रुपए मांगने का आरोप है.

शिकायतें सामने आने के बाद कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे.

मंत्रालय ने कहा है कि किसानों और वेयरहाउस संचालकों से जुड़ी सरकारी प्रक्रियाओं में अनियमितता या रिश्वत की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा.

सिंधी विस्थापितों को नहीं मिले प्लॉट

हाईकोर्ट ने राज्य शासन सहित संबंधित अधिकारियों से मांगा जवाब

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 23 सितंबर. भोपाल में सिंधी विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए आवंटित 100 प्लाटों में से 52 पर करीब 35 साल से कब्जा नहीं मिलने और लीज नवीनीकरण के लिए 2.54 करोड़ रुपए शमन शुल्क मांगे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने नगर सुधार समिति, गांधी नगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए.

याचिका के अनुसार शासन ने वर्ष 1984 से 1988 के बीच ग्राम बेहटा, वन ट्री हिल्स, बैरागढ़ में 100 प्लाट आवंटित किए थे. अक्टूबर 1988 में कलेक्टर भोपाल ने समिति के पक्ष में पंजीकृत लीज डीड भी निष्पादित की थी. समिति का कहना है कि वर्ष 1990 से 52 प्लाट और सामुदायिक भवन की जमीन पर अतिक्रमणकारियों व झुग्गीवासियों का कब्जा है, जबकि 48 प्लाटों का ही कब्जा सदस्यों को मिल सका.

कब्जा दिलाने और लीज नवीनीकरण के लिए समिति ने 1997 और 2023 में हाईकोर्ट की शरण ली थी. पूर्व आदेशों में कलेक्टर को अतिक्रमण हटाकर कब्जा दिलाने और लीज नवीनीकरण के आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे. याचिका में बताया गया कि जून 2023 में 3.75 लाख रुपए प्रीमियम और 18 हजार रुपए भू-भाटक मांगा गया था. बाद में एसडीओ राजस्व ने 6 मार्च 2026 और कलेक्टर ने 13 मार्च 2026 को 2 करोड़ 53 लाख 39 हजार 950 रुपए शमन शुल्क मांगते हुए सामान्य लीज नवीनीकरण से इनकार कर दिया. समिति ने संबंधित आदेशों को चुनौती दी है.

पूर्व डीजीपी सक्सेना पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के मॉनिटर नियुक्त

भोपाल, 23 सितंबर. मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुधीर कुमार सक्सेना को भारत सरकार के महारत्न सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर नियुक्त किया गया है.

कंपनी की निगरानी व्यवस्था के तहत उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. सुधीर कुमार सक्सेना 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी रहे हैं. उन्होंने मध्यप्रदेश पुलिस में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्य किया और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं.

सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें प्रशासनिक और निगरानी आदि भूमिकाओं में जिम्मेदारियां दी जाती रही हैं.

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश की प्रमुख विद्युत पारेषण कंपनियों में शामिल है और भारत सरकार का महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है. स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर के रूप में सक्सेना कंपनी की प्रक्रियाओं और निर्धारित व्यवस्थाओं की निगरानी से जुड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे.

पिता की मौत के सदमे में बेटी ने भी तोड़ा दम

जबलपुर. सिहोरा थाना अंतर्गत बरखेड़ा गांव में जहरीले सांप के काटने से पिता की मौत के बाद गहरे सदमे को बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी दम तोड़ दिया. जिसके बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया. जब एक साथ दोनों की अर्थियां उठी तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई . बरखेड़ा निवासी 35 वर्षीय रामस्वरूप कोल को एक जहरीले सांप ने काट लिया था. सांप का जहर शरीर में फैलने के कारण उनकी हालत तेजी से बिगडने लगी. घबराए परिजन उन्हें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल रेफर कर दिया गया. लेकिन इलाज के दौरान रामस्वरूप की मौत हो गई.

डॉक्टर के आत्महत्या प्रयास मामले में एनएमसी सख्त

- मानसिक उत्पीड़न के आरोपों पर 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट
- वॉट्सएप चैट और एंटी रैगिंग रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में

नवभारत न्यूज

इंदौर, 23 सितंबर. एमजीएम मेडिकल कॉलेज और एमवाय अस्पताल में पीजी जेआर-1 डॉ. सिम्मी यादव के आत्महत्या प्रयास और कथित रैगिंग-मानसिक उत्पीड़न के मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने कॉलेज प्रबंधन से 24 घंटे में जवाब मांगा है.

आयोग ने घटना की तत्काल, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच के साथ सभी बिंदुओं पर दस्तावेजी

साक्ष्यों सहित पैरावाइज कमेंट और कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.

शिकायत डॉ. सिम्मी के भाई कुणाल यादव की ओर से की गई थी. इसमें वरिष्ठ रेजिडेंट्स पर बार-बार प्रताड़ित करने, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, धमकी देने और गैर-अकादमिक व कागजी काम का दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं. शिकायत में इंसुलिन की अधिक मात्रा लेकर आत्महत्या का प्रयास करने और उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने का भी दावा किया गया है. एनएमसी ने घटना की तारीख, समय, परिस्थितियां और वर्तमान मेडिकल स्थिति की जानकारी मांगी है.

शिकायत में आधिकारिक रोस्टर से अधिक 14-15 घंटे काम कराने का आरोप भी है. आयोग ने ड्यूटी रोस्टर, बायोमेट्रिक व उपस्थिति रिकॉर्ड, हैंडओवर रजिस्टर और अवकाश रिकॉर्ड तलब किए हैं. साथ ही डॉ. यशस्वी, डॉ. निकिता और डॉ. श्वेता से जुड़े आरोपों पर उनका पक्ष भी मांगा है.

शराब दुकान विवाद में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पर एफआईआर

- संचालक ने लगाया 60 हजार रुपए मांगने का आरोप
- अभिषेक बोले- किराए की रकम को वसूली बताया

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 23 सितंबर . धनवंतरी नगर की शराब दुकानों से कथित तौर पर रुपए मांगने और रकम नहीं देने पर दबाव बनाने के आरोप में गढ़ा पुलिस ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. शराब दुकान संचालक निखिल सोनी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तीन शराब दुकानों के लिए पहले प्रतिमाह 20 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब प्रत्येक दुकान से 20-20 हजार रुपए की मांग की जा रही थी. इस तरह कुल 60 हजार रुपए देने का दबाव बनाया गया. रकम देने से इनकार करने पर दुकान के सामने

प्रदर्शन किया गया और दुकान बंद कराने की धमकी देने का आरोप लगाया गया.

वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक पाठक ने आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि वायरल ऑडियो को काट-छांटकर पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि बातचीत शराब दुकान के किराए को लेकर थी, जिसे गलत तरीके से वसूली बताया जा रहा है.

गढ़ा थाना पुलिस ने अभिषेक पाठक के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(2) और 351(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस शिकायत, ऑडियो-वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है.

> निखिल सोनी ने पुलिस को बताया कि अभिषेक पाठक खुद को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बताते हैं और पिछले करीब तीन साल से अलग-अलग मौकों पर रुपए दिए जाने का दावा किया है. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि मांग पूरी नहीं होने पर शराब दुकानों के खिलाफ आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया. मामले में एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कथित तौर पर प्रति दुकान 20 हजार रुपए की मांग की बातचीत होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि पुलिस ऑडियो की वास्तविकता और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है या नहीं, इसकी जांच करेगी.

अपहृत युवक को घायल अवस्था में छोड़कर भागे बदमाश

दतिया. पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. बदमाश ग्राम महोबा निवासी पवन यादव पुत्र बुद्ध सिंह को दतिया कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अस्पताल के पास से जबरन चार पहिया वाहन में बैठाकर ले गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने के बाद बल ने बदमाशों की घेराबंदी की. इंदरगढ़ पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया. लगातार पीछा किए जाने और पुलिस की सक्रियता से घबराकर बदमाशों ने अपहृत युवक को रास्ते में घायल अवस्था में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने युवक को बरामद कर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

बैंककर्मी और हेल्पलाइन कर्मचारी बनकर ठगों ने उड़ाए 2 .72 लाख

बैंक ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड फीस माफी और हेल्पलाइन के नाम पर तीन लोगों से ठगी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 23 सितंबर. शहर में साइबर ठगी के तीन अलग-अलग मामलों में ठगों ने बैंककर्मी, क्रेडिट कार्ड कर्मचारी और हेल्पलाइन कर्मचारी बनकर करीब 2.72 लाख रुपए की ठगी कर ली. पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रामनगर लूटपुरा निवासी उपेंद्र सिंह सिकरवार के मोबाइल पर 19 सितंबर को एक व्यक्ति ने बैंककर्मी बनकर फोन किया. उसने खाते से ट्रांजैक्शन होने की बात कहकर बातचीत में उलझाए रखा. कुछ देर बाद उपेंद्र के खाते से 1 लाख 85 हजार 999 रुपए निकल गए. लक्ष्मीविहार कॉलोनी निवासी मनीष रस्तोगी के पास ठग ने एसबीआई क्रेडिट कार्ड कर्मचारी बनकर फोन किया. उसने 3,300 रुपए की सालाना फीस माफ करने का झांसा दिया. प्रक्रिया के नाम पर ठग ने उन्हें मोबाइल चालू रखने को कहा. बाद में बिल में दो ट्रांजैक्शन के जरिए 46 हजार 460 रुपए निकाले जाने का पता चला.

सिक्योरिटी लौटाने के बदले मांगे 55 हजार

- 14 हजार की रिश्वत लेते उपयंत्री पकड़ा

नवभारत न्यूज

इंदौर, 23 सितंबर . नर्मदा विकास विभाग के उपयंत्री अशोक गौतम को ठेकेदार से 14 हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा. आरोप है कि निर्माण कार्य का बकाया भुगतान और सिक्योरिटी राशि लौटाने के बदले उपयंत्री ने ठेकेदार से 55 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी.

शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने बुधवार को पुनासा स्थित नर्मदा विकास

संभाग कार्यालय में कार्रवाई की.

ठेकेदार लखन राठौर ने 10 सितंबर को लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि वर्ष 2024 में उसे पुनासा में चौकीदार कक्ष और जनरेटर कक्ष निर्माण का ठेका मिला था. काम पूरा करने के बाद उसने विभाग में बिल जमा किए. करीब 13 लाख रुपए का भुगतान उसे मिल चुका था, लेकिन कुछ राशि का भुगतान और सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जाना बाकी था. आरोप है कि इसी राशि को जारी करने के बदले उपयंत्री ने रिश्वत की मांग की. शिकायत के सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाया. बुधवार को ठेकेदार द्वारा 14 हजार रुपए दिए जाने के दौरान टीम ने उपयंत्री अशोक गौतम को कार्यालय के तकनीकी कक्ष में पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि बरामद की गई. लोकायुक्त ने आरोपी उपयंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

जिम्मेदारी पांच नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां, भदौरिया आंध्र के प्रभारी, लाल सिंह बंगाल के सहप्रभारी

भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में बढ़ा मप्र का कद

कन्हैया लोधी

भोपाल, 23 सितंबर. भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में मध्यप्रदेश का कद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष

आशीष अग्रवाल अब राष्ट्रीय मीडिया संयोजक बने

नितिन नबीन की टीम में प्रदेश के नेताओं को लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने के बाद बुधवार को प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियों में भी मप्र की मजबूत मौजूदगी रही.

प्रदेश के चार नेताओं को अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी

दी गई है. वहीं करीब एक माह पहले राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी बनाए गए आशीष उषा अग्रवाल का भी कद बढ़ाते हुए उन्हें राष्ट्रीय मीडिया विभाग का संयोजक बनाया गया है. प्रदेश के पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को आंध्रप्रदेश का प्रभारी एवं लाल सिंह आर्य को बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है. विधानसभा चुनाव में अटेर से हार के बाद भी संगठन में भदौरिया की भूमिका और रणनीतिक कौशल को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है. आंध्रप्रदेश में भाजपा गठबंधन सरकार का हिस्सा है. खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है. राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राजस्थान का सह प्रभारी बनाया गया है. नितिन नबीन की टीम में राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने के बाद उन्हें अब भाजपा शासित बड़े राज्य की जिम्मेदारी मिली है.

बृजगोपाल लोया भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी

लगभग एक माह के इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बृजगोपाल लोया को ये जिम्मेदारी दी है. लोया मूल रूप से रायसेन जिले के उदयपुरा के रहने वाले हैं. दतिया उपचुनाव के दौरान उन्होंने मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभाली थी. ओरछा में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मीडिया प्रबंधन के साथ ही हाल ही में उज्जैन और इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे के समय भी राष्ट्रीय मीडिया के साथ समन्वय और मीडिया प्रबंधन का काम संभाल चुके हैं.

गुस्ताखी माफ

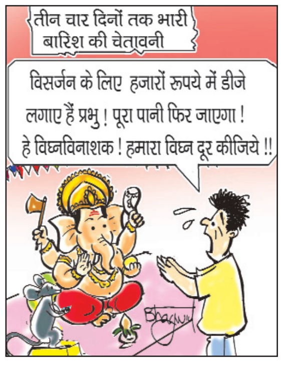

तीन चार दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी
विसर्जन के लिए हजारों रूपये में डीजे लगाए हैं प्रभु ! पूरा पानी फिर जाएगा ! हे विघ्नविनाशक ! हमारा विघ्न दूर कीजिये !!
Bhagwat

शराब कांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

- 30 हजार का इनामी मनीष पैर में गोली लगने से घायल
- दो कट्टे, पांच कारतूस और बेसबॉल डंडा बरामद

नवभारत न्यूज

सागर, 23 सितंबर . बंडा जहरीली शराब कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी और 30 हजार रुपए के इनामी मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात मालथौन थाना क्षेत्र के नोनिया सेसई रोड घाटी पर घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में

मनीष के पैर में चोट लगी. उसका साथी आशीष साहू भी भागने के प्रयास में घायल हो गया. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक रात करीब 3 बजे घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की थी. मौके से दो देशी कट्टे, पांच कारतूस और एक बेसबॉल डंडा बरामद किया गया है. बंडा और विनायका क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद से मनीष की तलाश की जा रही थी.

बंडा शराब कांड में अब तक 41 लोगों की मौत की बात सामने आई है. पुलिस ने मामले में 52 आरोपियों को नामजद किया है, जिनमें से 39 की गिरफ्तारी हो चुकी है. दो आरोपियों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है.

पुलिस के अनुसार यह तीसरा मामला है, जब शराब कांड से जुड़े आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले रवि लखेरा और शिवांजय सिंह को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा था. मामले में साक्ष्य जुटाने के साथ आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.